





# NETAJI SUBHAS UNIVERSITY

Estd. Under Jharkhand State Private University Act, 2018

## Reservation Policy

  
**Registrar**  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

  
**VICE CHANCELLOR**  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND



# NETAJI SUBHAS UNIVERSITY

## JAMSHEDPUR

( A Unit of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan )

Estd. Under Jharkhand State Private University Act, 2018

Approved by UGC under Section 2(f), AICTE, PCI, BCI, NCTE, INC & JNRC

Ref. No. : .....

Date : .....

## Reservation Policy

### Circular

(w.e.f. Academic Year 2018 onwards also applicable as amended by Government)

- (1) It is resolved that, Netaji Subhas University will follow reservation policy of the State Government for admission into various programs (UG/PG and Others):
- ST - 26 %
  - SC - 10 %
  - OBC - 14% (Increased up to 27% w.e.f 2022)
  - EWS - 10% (These seat shall be supernumerary in nature)
  - Women - 3 %
  - Divyang Jan - 2%
  - Minorities - 4.5% (As per under Section 2(c) of National Commission for Minorities Act, 1992)

The caste certificate on the basis of which the student claims reservation should be issued by relevant authority of the Jharkhand Government.

  
**Registrar**  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

  
**VICE CHANCELLOR**  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND



# NETAJI SUBHAS UNIVERSITY

## JAMSHEDPUR

( A Unit of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan )

Estd. Under Jharkhand State Private University Act, 2018

Approved by UGC under Section 2(f), AICTE, PCI, BCI, NCTE, INC & JNRC

Ref. No. : .....

Date : .....

- (2) It is resolved that the in case of unavailability of the reserved category students, the vacant seats shall be filled up in the following manners :
- Against the vacant seats of ST, the SC candidates if available will be admitted.
  - Against the vacant seats of SC the ST candidates if available will be admitted.
  - If no candidate of SC and ST are available for admission, then the vacant seats will be filled following preference – (i) OBC (ii) General
  - If no candidate of OBC is available for admission, then the vacant seats will be filled following preference by General category.
  - If no candidate of reserved classes are available for admission then the vacant seats will be filled by General Category Students
  - If no candidate of minorities / Divyang Jan are available for admission, then the vacant seat fill be filled by others subject to approval of competent authority.

- (3) It is further resolved that as per provision of section 3 (9) and section 5 (4) of the Gazette of Jharkhand Government dated 24/09/2018 under the preview of Netaji Subhas University Act 2018 (Jharkhand Act No. 11, 2018) the reservation policy will be applicable subject to recommendation of admission committee.

Registrar

Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

VICE CHANCELLOR  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND



# NETAJI SUBHAS UNIVERSITY JAMSHEDPUR

( A Unit of Sitwanto Devi Mahila Kalyan Sansthan )

Estd. Under Jharkhand State Private University Act, 2018

Approved by UGC under Section 2(f), AICTE, PCI, BCI, NCTE, INC & JNRC


Ref. No. : .....


Date : .....

## Scheme of Reservation for Admission:

Sl. No.	Category	% as per Government Rules	% as per University Norms *
01.	Scheduled Tribe (ST)	26	9
02.	Scheduled Caste (SC)	10	5
03.	Other Backward Classless (OBC)	14 (Increased up to 27% w.e.f 2022)	5(14) (Increased w.e.f 2022)
04.	Economically Weaker Section (EWS)	10	2
05.	Divyang - Jan	2	2
06.	Women	3	3
07.	Minorities	4.5	4.5
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>26</b>

**Note \* - As per provision of section 3 (9) and section 5 (4) of NSU Act, 2018 (Jharkhand Act No. 11, 2018).**

  
**VICE CHANCELLOR**  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND

  
**Registrar**  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

NSU (CAMPUS): Pokhari, Bhilai Pahari, PS: MGM, Dist: East Singhbhum, Jamshedpur - 831012

Toll Free No: 1800 8899 022

NSU (CITY OFFICE): 4th Floor, Shatabdi Tower, Sakchi, Jamshedpur - 831001

Landline No: 0657 2233 022

Visit: [www.nsuniv.ac.in](http://www.nsuniv.ac.in) | Mail us on: [info@nsuniv.ac.in](mailto:info@nsuniv.ac.in)

NSU Office No: 9835 203 429

झारखण्ड सरकार

NF  
J

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।


2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं०-5800, दिनांक-10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है; राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा



Registrar  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand



VICE CHANCELLOR  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0-5800, दिनांक-10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरुद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :-

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	-	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	-	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :-

(क)	अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	-	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	-	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)-		10 प्रतिशत
	कुल		60 प्रतिशत

#### 7. नामांकन में आरक्षण का विनियमन:-

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय-समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के प्रतिशत अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

**Registrar**  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

**VICE CHANCELLOR**  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :-

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/आ०नी०-04-02/2019 का.- 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



Registrar  
Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

VICE CHANCELLOR  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND

ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-02/2019 का.- 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/राज्य के सभी लोक उपक्रमों/निगमों/निकायों/परिषदों/विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक-14/आ0नी0-04-02/2019 का.- 1434 /रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :- सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

  
Registrar

Netaji Subhas University  
Jamshedpur, Jharkhand

  
VICE CHANCELLOR  
NETAJI SUBHAS UNIVERSITY  
JAMSHEDPUR, JHARKHAND